Section 142 : Miscellaneous transitional provisions

(1) Where any goods on which duty, if any, had been paid under the existing law at the time of removal thereof, not being earlier than six months prior to the appointed day, are returned to any place of business on or after the appointed day, the registered person shall be eligible for refund of the duty paid under the existing law where such goods are returned by a person, other than a registered person, to the said place of business within a period of six months from the appointed day and such goods are identifiable to the satisfaction of the proper officer:

Provided that if the said goods are returned by a registered person, the return of such goods shall be deemed to be a supply.

(2) **(a)** where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods or services or both is revised upwards on or after the appointed day, the registered person who had removed or provided such goods or services or both shall issue to the recipient a supplementary invoice or debit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act such supplementary invoice or debit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act;

(b) where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods or services or both is revised downwards on or after the appointed day, the registered person who had removed or provided such goods or services or both may issue to the recipient a credit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act such credit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act:

Provided that the registered person shall be allowed to reduce his tax liability on account of issue of the credit note only if the recipient of the credit note has reduced his input tax credit corresponding to such reduction of tax liability.

(3) Every claim for refund filed by any person before, on or after the appointed day, for refund of any amount of CENVAT credit, duty, tax, interest or any other amount paid under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and any amount eventually accruing to him shall be paid in cash, notwithstanding anything to the contrary contained under the provisions of existing law other than the provisions of subsection (2) of section 11B of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944):

Provided that where any claim for refund of CENVAT credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of CENVAT credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(4) Every claim for refund filed after the appointed day for refund of any duty or tax paid under existing law in respect of the goods or services exported before or after the appointed day, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law:

Provided that where any claim for refund of CENVAT credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of CENVAT credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(5) Every claim filed by a person after the appointed day for refund of tax paid under the existing law in respect of services not provided shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and any amount eventually accruing to him shall be paid in cash, notwithstanding anything to the contrary contained under the provisions of existing law other than the provisions of sub-section (2) of section **11B** of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

(6) **(a)** every proceeding of appeal, review or reference relating to a claim for CENVAT credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law, and any amount of credit found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash, notwithstanding anything to the contrary contained under the provisions of existing law other than the provisions of sub-section (2) of section **11B** of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act:

Provided that no refund shall be allowed of any amount of CENVAT credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act;

(b) every proceeding of appeal, review or reference relating to recovery of CENVAT credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and if any amount of credit becomes recoverable as a result of such appeal, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(7) **(a)** every proceeding of appeal, review or reference relating to any output duty or tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount becomes recoverable as a result of such appeal, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of duty or tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(b) every proceeding of appeal, review or reference relating to any output duty or tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash, notwithstanding anything to the contrary contained under the provisions of existing law other than the provisions of sub-section (2) of section **11B** of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(8) **(a)** where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day, under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes recoverable from the person, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act;

(b) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day, under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes refundable to the taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the said law, notwithstanding anything to the contrary contained in the said law other than the provisions of sub-section (2) of section **11B** of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1994) and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(9) **(a)** where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day and if, pursuant to such revision, any amount is found to be recoverable or any amount of CENVAT credit is found to be inadmissible, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act;

(b) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day but within the time limit specified for such revision under the existing law and if, pursuant to such revision, any amount is found to be refundable or CENVAT credit is found to be admissible to any taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the existing law, notwithstanding anything to the contrary contained in the said law other than the provisions of sub-section (2) of section **11B** of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(10) Save as otherwise provided in this Chapter, the goods or services or both supplied on or after the appointed day in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day shall be liable to tax under the provisions of this Act.

(11) **(a)** notwithstanding anything contained in section 12, no tax shall be payable on goods under this Act to the extent the tax was leviable on the said goods under the Value Added Tax Act of the State;

(b) notwithstanding anything contained in section 13, no tax shall be payable on services under this Act to the extent the tax was leviable on the said services under Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994);

(c) where tax was paid on any supply both under the Value Added Tax Act and under Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), tax shall be leviable under this Act and the taxable person shall be entitled to take credit of value added tax or service tax paid under the existing law to the extent of supplies made after the appointed day and such credit shall be calculated in such manner as may be prescribed.

(12) Where any goods sent on approval basis, not earlier than six months before the appointed day, are rejected or not approved by the buyer and returned to the seller on or after the appointed day, no tax shall be payable thereon if such goods are returned within six months from the appointed day:

Provided that the said period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that the tax shall be payable by the person returning the goods if such goods are liable to tax under this Act, and are returned after a period specified in this sub-section:

Provided also that tax shall be payable by the person who has sent the goods on approval basis if such goods are liable to tax under this Act, and are not returned within a period specified in this sub-section.

(13) Where a supplier has made any sale of goods in respect of which tax was required to be deducted at source under any law of a State or Union territory relating to Value Added Tax and has also issued an invoice for the same before the appointed day, no deduction of tax at source under section 51 shall be made by the deductor under the said section where payment to the said supplier is made on or after the appointed day.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, the expressions “capital goods”, “Central Value Added Tax (CENVAT) credit” “first stage dealer”, “second stage dealer”, or “manufacture” shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder.

धारा 142 : प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध

(1) जहां ऐसे किसी माल को, जिस पर किसी शुल्क का, यदि कोई हो, उसके हटाए जाने के समय विद्यमान विधि के अधीन संदाय किया गया था, जो नियत दिन से पूर्व छह मास से पूर्व का समय न हो, नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के स्थान पर वापस लौटाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को लौटाया जाता है तथा ऐसा माल उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से पहचान किए जाने योग्य है :

परन्तु उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है, तो ऐसे माल की वापसी एक पूर्ति समझी जाएगी।

(2) **(क)** जहां नियत दिन से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिन के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को हटाया या उपलब्ध कराया था, कीमत के ऐसे पुनरीक्षण से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्तिकर्ता को, ऐसी विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस नियम के अधीन की गई जावक पूर्ति के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत दिन से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिन के पश्चात् अथवा उससे पूर्व नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को हटाया या उपलब्ध कराया था, प्राप्तिकर्ता को, कीमत के ऐसे पुनरीक्षण से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाले अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को जारी कर सकेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमा पत्र को इस अधिनियम के अधीन की गई जावक पूर्ति के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल तब जमा पत्र के जारी किए जाने पर उसके कर दायित्व को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि जमा पत्र के पाने वाले ने कर दायित्व में ऐसी कमी के तत्समान उसका इनपुट कर प्रत्यय घटा दिया है।

(3) विद्यमान विधि के अधीन सेनवेट प्रत्यय, शुल्क, कर ब्याज की रकम अथवा विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्रोद्भूत होने वाली किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी नकद संदाय किया जाएगा :

परन्तु जहां सेनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः नामंजूर किया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) नियत दिन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् निर्यात किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध

में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी शुल्क अथवा कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसरण में निपटाया जाएगा :

परन्तु जहां सेनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः नामंजूर किया जाता है वहां इस प्रकार नामंजूर की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) उपलब्ध न कराई गई सेवाओं के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्रोद्भूत होने वाली किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद संदाय किया जाएगा।

(6) **(क)** सेनवेट प्रत्यय के लिए किए गए किसी दावे के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् आरम्भ किया गयाा था तथा दावाकर्ता को अनुज्ञेय पाई जाने वाली प्रत्यय की रकम का केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा ओर नामंजूर की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) सेनवेट प्रत्यय की वसूली के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही को चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम, ऐसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है वहां उसकी, जब तक कि उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन वसूली न कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7) **(क)** आउटपुट शुल्क अथवा कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि ऐसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्परूप कोई प्रत्यय की रकम वसूलनीय हो जाती है वहां उसकी, जब तक कि उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आउटपुट शुल्क अथवा कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन या उसके

पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा दावाकर्ता को स्वीकार योग्य पाई गई दावाकृत रकम का, केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन नकद इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8) **(क)** जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित की गई किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूलनीय हो जाती है, वहां जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गई हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी तथा इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित की गई किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है, वहां केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उसका उसे नकद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(9) **(क)** जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी को, नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षित किया जाता है और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पाई जाती है अथवा सेनवेट प्रत्यय की रकम अननुज्ञेय पाई जाती है, वहां जब तक कि उसे विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई कोई विवरणी नियत दिन के पश्चात्, किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदेय पाई जाती है अथवा सेनवेट प्रत्यय की कोई रकम किसी कराधेय व्यक्ति को अनुज्ञेय पाई जाती है, वहां विद्यमान विधि के अधीन जब तक कि उसका प्रतिदाय नहीं कर दिया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख को या उसके पश्चात् माल या सेवा अथवा दोनों की पूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगी।

(11) **(क)** धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक संदेय नहीं होगा, जहां तक उक्त कर राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहणीय था।

(ख) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक संदेय नहीं होगा, जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 [1](1994 का 32) के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहणीय था।

(ग) जहां कोई कर मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 (1944 का 32) के अध्याय 5, दोनों के अधीन किसी पूर्ति पर संदत्त किया गया था, वहां ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय होगा, तथा कराधेय व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्य वर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को लेने के लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की, उस रीति में जो विहित की जाए, संगणना की जाएगी।

(12) जहां कोई माल नियत दिन से छह मास से कम पूर्व अनुमोदन के आधार पर भेजा गया था और उसे नियत तारीख को या उसके पश्चात् क्रेता द्वारा नामंजूर किया जाता है या उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है और उसे विक्रेता को लौटा दिया जाता है, वहां उस पर कोई कर देय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि कर, माल को वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय होगा, यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है।

(13) जहां किसी पूर्तिकार ने माल का कोई विक्रय किया है, जिसके संबंध में मूल्य वर्धित कर से संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की किसी विधि के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और पूर्तिकार द्वारा नियत दिन के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, वहां धारा 51 के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा स्त्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त पूर्तिकार को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''पूंजी माल'', ''केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेट) प्रत्यय'', ''प्रथम प्रक्रम व्यौहारी'', ''दूसरा प्रक्रम व्यौहारी'' अथवा ''विनिर्माता'' पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन है।

---

1 राजपत्र में (1944 का 32) छपा हुआ है।